37/2024

26.3.25 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उपस्थित
[illegible]
पत्रावली वास्ते [illegible]
हेतु तारीख 23.4.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

23.4.25 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उपस्थित
[illegible]
पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु
तारीख 7.5.25 को पेश हो।

7.5.25 वकील वादी : प्रार्थी उपस्थित : पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 9.6.25 को पेश हो।

21.05.2025 प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते त्वरित सुनवाई पर प्रति प्रार्थी वकील को दिलाते हुए पत्रावली आज तलब की गई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण ने [illegible] न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध [illegible] रखा है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर उन्हें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी [illegible] संयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 257 रकबा 7.4185 हैक्टयर ग्राम एड सिणधरी में एवं खसरा संख्या 8/3 रकबा 4.1340 हैक्टयर ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि में पैतृक आधार पर प्रत्येक प्रार्थी का 1/6–1/6 हिस्सा एवं विप्रार्थी सं. 1 का भी 1/6 हिस्सा है। किंतु राजस्व रिकार्ड में उक्त समग्र

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:27 IST
Reason: SelfAttested

37/2024

से सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण विप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में होना प्रमाणित है। खसरा संख्या 257 रकबा 7.4185 हैक्टयर मौजा एड सिणधरी प्रार्थीगण के पितामह भारमल से विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होने से उक्त भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक की है और इसमें अपने पिता एवं प्रत्येक प्रार्थी का 1/6–1/6 हिस्सा बनता है।

लिहाजा ग्राम एड सिणधरी की खसरा संख्या 257 रकबा 7.4185 हैक्टयर भूमि के संबंध में ताफैसला मूलवाद प्रार्थीगण के हिस्से की सीमा तक विप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का स्थगन जारी किया जाता है तथा ग्राम निम्बली की खसरा संख्या 8/3 रकबा 4.1340 हैक्टयर भूमि के संबंध में जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 15.05.2024 को निरस्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर मूलवाद के सलंग्न हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:27 IST
Reason: SelfAttested